न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी—नथमल डिडेल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—40 / 2019

1. प्रार्थना—पत्र मनसा खां पुत्र श्री अता मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मानकसर तहसील संगरिया हाल राजियासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगाानगर।
2. महावीर प्रसाद पुत्र श्री मनीराम जाति जाट (गौदारा) निवासी राजियासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

——प्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः— 1. राजेन्द्र भुंवाल अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक

निर्णय   **दिनांकः— 5.08.2021**

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के विरूद्ध थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, हनुमानगढ़ द्वारा परिवाद अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया था जिससे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2009 को पारित आदेश के जरिये प्रार्थीगण से जब्त शुदा डीजल 1800 लीटर मय आठ प्लास्टिक ड्रमो व एक प्लास्टिक जरीकैन को राज्य पक्ष में राजसात किये जाने के आदेश फरमाये थे। उक्त डीजल व ड्रमों को जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त प्रकरण मे आदेश दिनांक 16.09.2008 की पालना मे सार्वजनिक निलामी कर 50479/ रूपये जरिये चालान संख्या 972 दिनाक 19.11.2008 को राजकोष मे जमा करवाने के सबंध मे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इस सबंध मे पारित आदेश व चालान की प्रति सलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थीगण के विरूद्ध ही थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, हनुमानगढ द्वारा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आरोप पत्र भी दिनांक 05.11.2008 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 829/2008 स्टेट बनाम मनसा खा आदि मे दिनाक 29.01.2019 को पारित करते हुए प्रार्थीगण को दोषमुक्त घोषित किया गया। निर्णय की प्रति भी सलग्न प्रार्थना पत्र है। इस निर्णय के विरूद्ध आज तक कही भी अपील प्रस्तुत होने की कोई सूचना प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हुई है व यह निर्णय अतिम रूप से विनिश्चय हो चुका है।

पुलिस थाना सदर, हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 02.08.2008 को उपरोक्त डीजल 1800 लीटर मय ड्रमो व जरीकैन के जब्त किया गया था। चूंकि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को दोष मुक्त किया गया है इस कारण प्रार्थीगण अधिनियिम में दिये गये प्रावधानो के तहत उक्त डीजल व ड्रमों की राशि 50,479 रूपये दिनांक 02.08.2008 से आदयागी तक 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज समेत प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीगण से जब्त शुदा डीजल व ड्रमों की राशि 50,479/ रूपये दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.08.2008 से अदायगी तक 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित प्रार्थीगण को अदा करे। प्रार्थना–पत्र के साथ माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 29.01.2019 अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम की प्रति इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.03.2009 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की प्रति प्रस्तुत की गई।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर अभिलेखागार से इस न्यायालय की निर्णित पत्रावली संख्या विविध 99/2008 अनवान थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, हनुमानगढ़ जक्शन बनाम मनसा खां वगैरा निर्णय दिनांक 09.03.2009 को तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस प्रार्थीगण सुनी गई। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा फौजदारी प्रकरण राजस्थान राज्य बनाम मनसां खा वगैरा मे निर्णय दिनांक 29.01.2019 अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थीगण को आरोप मे संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त घोषित किया गया है।

थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, हनुमानगढ़ द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में प्रकरण थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, हनुमानगढ़ बनाम मनसा खां बगैरा पेश किया गया, जिसकी सुनवाई की जाकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2009 को स्टेट का परिवाद स्वीकार किया जाकर जब्त शुदा 1800 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रमों व एक प्लास्टिक जरिकैन को राज्य पक्ष में राजसात (confiscate) किया गया।

प्रार्थीगण माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 29.01.2019 के अनुसार जब्त शुदा 1800 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रमों व एक प्लास्टिक जरिकैन को राज्य पक्ष में राजसात (CONFISCATE) किया गया है, की राशि 50479/रूपये दिनांक 02.08.2008 से अदायगी तक 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित अदा करने बाबत् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालय द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, हनुमानगढ़ द्वारा फौजदारी प्रकरण राजस्थान राज्य बनाम मनसां खा वगैरा में निर्णय दिनांक 29.01.2019 अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थीगण को आरोप मे संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त घोषित किया गया है। इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.03.2009 यथावत है। प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09.03.2009 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चुनौति नहीं दी गई है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 6 सी(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
हनुमानगढ़